बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)
(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in
TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN- U74110BR202SGC018889

संकल्प संख्या- 873 पटना, दिनांक- 01/04/2025

T-I/Alleg./EEE-23004/2022

श्री राकेश कुमार (Emp.ID- E01128), तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता (यू.एल.डी.सी.), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय- संचरण जोन, पटना) को निगरानी विभाग द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक 19.10.2022 को रंगे हाथ रु.2,00,000/- (दो लाख) मात्र घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। तदोपरांत, श्री कुमार को इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 508 दिनांक 26.10.2022 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिहार सेवा संहिता के नियम-99 के तहत निगरानी विभाग द्वारा उन्हें हिरासत में लिये जाने के कारण दिनांक 19.10.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 14 दिनांक 06.01.2023 सहपठित शुद्धि पत्र ज्ञापांक-469 दिनांक- 22.02.2023 द्वारा श्री कुमार को कारागार से मुक्त होने की तिथि 23.12.2022 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए संबंधित निगरानी थाना कांड संख्या 53/2022 दिनांक 18.10.2022 अनुसंधानांतर्गत रहने तथा कार्यालय के पत्रांक 12 दिनांक 03.01.2023 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरुप उनके विरूद्ध संचालित होने वाली विभागीय कार्यवाही पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले उन्हें पुनः बिहार संहिता के नियम 100 के तहत केन्द्रीय आर्दश कारा, बेउर, पटना से उनके जमानत पर रिहा होने की तिथि 23.12.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तत्क्षण प्रभाव से संचरण जोन, पटना निर्धारित किया गया।

श्री राकेश कुमार (Emp.ID- E01128), तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता (यू.एल.डी.सी.), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय- संचरण जोन, पटना) के विरुद्ध इस कार्यालय के संकल्प संख्या 310 दिनांक 02.02.2023 के साथ संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार, यथा, 2.00 (दो) लाख रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए निगरानी विभाग द्वारा पकड़े जाने एवम् कम्पनी की छवि धूमिल करने के आरोप पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अफजालुर रहमान, आयुक्त के सचिव (सेवानिवृत्त), बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी एवम् श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री रहमान द्वारा कंपनी की सेवा छोड़ दिये जाने के कारण इस कंपनी के संकल्प संख्या 1122 दिनांक 15.05.2023 द्वारा उनके स्थान पर श्री डॉ. जवाहर लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त), बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिन्हा द्वारा भी कंपनी की सेवा छोड़ दिये जाने के कारण उनके स्थान पर संकल्प सं०- T-I/Alleg./EEE-23004/2022-1291 सह पठित ज्ञापांक-1292 दिनांक-02.06.2023 द्वारा सुनील कुमार झा, उप विकास आयुक्त (सेवानिवृत्त), बिहार सरकार को उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

(कृ.पृ.उ.)

श्री सुनील कुमार झा, जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन उनके पत्रांक 162 दिनांक 20.12.2024 द्वारा समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी श्री राकेश कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित प्रतिवेदन एवं आरोपी के लिखित प्रतिवेदन, गवाहों के गवाही एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की पूर्णरुपेण समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, जाँच पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए इस कार्यालय के संकल्प संख्या 76 दिनांक 09.01.2025 द्वारा श्री राकेश कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 394 दिनांक 11.02.2025 एवं पत्रांक 638 दिनांक 07.03.2025 द्वारा स्मारित भी किया गया, परंतु श्री कुमार द्वारा निगरानी थाना कांड में निर्णय होने तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए, द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यवाही को स्थगित करने हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष समादेश याचिका सं. 13624/2023, राकेश कुमार बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं अन्य भी दायर किया गया है, जो वर्तमान में लंबित है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 2324 दिनांक 10.07.2007 में निहित प्रावधान के अनुसार आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही चलाई जा सकती है। उक्त के आलोक में श्री कुमार दवारा प्रार्थित विभागीय कार्यवाही स्थगन संबंधी निवेदन को अस्वीकृत किया गया। साथ ही, इस बात का भी संज्ञान लिया गया कि श्री कुमार को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित प्रतिवेदन एवं आरोपी के लिखित प्रतिवेदन, गवाहों के गवाही एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की सम्यक समीक्षोपरांत यह स्थापित होता है कि श्री राकेश कुमार (Emp.ID- E01128), तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता (यू.एल.डी.सी.), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय- संचरण जोन, पटना) के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, जिससे कम्पनी की छवि धूमिल हुई, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 3(1)(iii) का घोर उल्लंघन है। अतः श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए श्री कुमार को ***'तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने'*** की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, श्री राकेश कुमार (Emp.ID- E01128), तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता (यू.एल.डी.सी.), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय- संचरण जोन, पटना) को ***'तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने'*** की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री राकेश कुमार (Emp.ID-E01128), तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता (यू.एल.डी.सी.), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय- संचरण जोन, पटना) को अग्रसारित किया जाय।

आदेशानुसार,
ह0/-
(दीपक कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक-____________/पटना दिनांक-____________

प्रतिलिपि- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(दीपक कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक- ____________/पटना दिनांक-____________

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), BSP(H)CL/SBPDCL/NBPDCL/BSPTCL/BSPGCL, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(दीपक कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक- 874 /पटना दिनांक- 01/04/2025

प्रतिलिपि- निदेशक (परियोजना)/ निदेशक (परिचालन)/सभी मुख्य अभियंता, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन/उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)/उप सचिव, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रशासक (मास्टर ट्रस्ट), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी अवर सचिव/डी.बी.ए., बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल/सभी लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ श्री राकेश कुमार (Emp.ID- E01128), विद्युत कार्यपालक अभियंता, निलंबित (मुख्यालय- संचरण जोन, पटना) को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, BSPTCL से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

1.4.25
(दीपक कुमार)
उप सचिव

01.04.25